सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 167/17 **निर्णय दिनांकः— 5.1.2018**

1. मोहम्मद अली उर्फ मंजूर खॉ पुत्र हाकम खॉ जाति मुसलमान निवासी गांव बज्जू तहसील पूगल जिला बीकानेर हाल निवासी बजरंगधोरा, बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 25—10—2002
सहायक आयुक्त उपनिवेशन,छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. सुश्री रोशन आरा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 25—10—2002 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट वर्ष 1988 में बारानी भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के प्रार्थन पत्र पर लम्बे समय तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। जबकि अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ तमाम आवश्यक सबूत प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई नोटिस व अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर की गई है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है व अपीलाधीन आदेश प्रारम्भ से ही शून्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं करते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि बारानी आवांटन बन्द कर दिया गया है। जबकि बारानी भूमि का आवंटन आज भी हो रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट भूमिहीन के रूप में आवंटन कराने का पात्र था व आज दिनांक को भी पात्र है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन प्रक्रिया को अपनाये बिना आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट को अपने अधिकारों से वंचित रखा गया है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अदालत मातहत का उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। जबकि अदालत मातहत को अपीलांट का प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंसा के उपरान्त अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है।

अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25—10—2002 के विरूद्व अपील दिनांक 10—05—17 को पेश की है। जो करीब 15 वर्ष विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। चूंकि राज्य सरकार के आदेशानुसार बारानी भूमि का आवंटन बन्द किया जा चुका है। अतः अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 25—10—2002 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 10—05—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बारानी भूमि आवंटन के तहत प्रार्थना पत्र पेश करते हुए आवंटन की इस्तदुआ की गई थी।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का बारानी भूमि आवंटन का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा बारानी भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र वर्ष 1988 में प्रस्तुत किया गया था। राज्यादेश क्रमांक एफ—3(25)उपनि/91, जयपुर दिनांक 13—03—1991 से इगानप

उपनिवेशन क्षेत्र में द्वितीय चरण में बारानी भूमि का आवंटन बन्द कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप आवेदन पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। लिहाजा आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

(4) अदालत मातहत के उक्त आदेश के विरूद्व अपीलांट द्वारा अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का कथन किया गया है। चूंकि अपीलांट द्वारा बारानी भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ—3(25)उपनि/91, जयपुर दिनांक 13—03—1991 से इगानप उपनिवेशन क्षेत्र में द्वितीय चरण में बारानी भूमि का आवंटन बन्द किये जाने के अनुसरण में पारित किया गया है। है।

(5) ऐसी स्थिति में जब राज्य सरकार द्वारा ही बारानी भूमि का आवंटन बन्द कर दिया गया है तो अपीलांट अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से बारानी भूमि आवंटन कर पात्र घोषित नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का बारानी भूमि आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई कानूनी भूल नहीं की है। अतः अदालत मातहत का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़, मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 25—10—2002 बहाल रखा जता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर